संख्या–1350 / 18–4–2010–14(बजट) / 07

प्रेषक,

राम किशोर,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशालय, उ0प्र0,
कानपुर ।

लघु उद्योग अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 30 अप्रैल,2010

विषयः–शिल्पकारों के लिए पेंशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कें सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उद्योग निदेशालय के पत्र संख्या–59 / 13–हस्त0 / बजट स्वीकृत / 2010–11, दि0 16.04.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2010–11 में विशिष्ट शिल्पकारों के लिए पेंशन योजनन्तर्गत आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 15,60,000.00 के सापेक्ष वर्ष के प्रथम छः माह के व्यय हेतु रू0 7,80,000.00 (रू0 सात लाख अस्सी हजार मात्र) की उद्योग निदेशक के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2– उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि सक्षम अधिकारी के वाास्तविक मांग पर केवल स्वीकृत योजना पर ही व्यय की जायेगी। किसी भी दशा में इसका उपयोग अन्य मदों / अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि गत वित्तीय वर्ष में दी गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरांत तथा वास्तविक आवश्यकता होने पर ही आहरित की जायेगी तथा आहरित धनराशि को किसी बैंक में नहीं रखा जायेगा ।

3– योजना का कार्यान्वयन एवं इस संबंध में व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951 / दस–2010–231 / 2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सुनिश्चित करने हेतु वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा ।

––2 / –

4— प्रस्तर—1 में स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग—6 एवं शासन को प्रपत्र बी—एम—13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा ।

5— प्रस्तर—1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

6— उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010—11 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—3 उद्योग विभाग—आयोजनागत (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अंतर्गत लेखा शीर्षक—"2851—ग्राम तथा लघु उद्योग—800—अन्य व्यय,04—शिल्पकारों के लिए पेंशन योजना, 20—सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा ।

7— यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0—बी—1—951/दस—2010—231/2010,दिनांक 26.03.2010 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(राम किशोर)
अनु सचिव ।

संख्या—1350 (1)/18—4—10, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2— महालेखाकार (लेखा/हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3— कोषाधिकारी, कानपुर नगर ।
4— वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उ.प्र. कानपुर ।
5— निदेशक,वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन,लखनऊ।
6— लघु उद्योग अनुभाग—1 एवं 3/वित्त ई—6/वित्त—आय व्ययक अनुभाग —1/नियोजन अनुभाग—4
7— गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राम किशोर)
अनु सचिव ।